

प्रेषक,

एन0पी0 सिंह  
विशेष सचिव  
3040 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
3040, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-706/55ए/10/६/विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 25 मई, 2015 तथा पत्र संख्या-1586/55ए/10/६/विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 20 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मऊ की न0पा0परि0 मऊ व न0प0 घोसी एवं मुहम्मदाबाद मोहना की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 14 परियोजनाओं हेतु ₹0 252.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 126.005 लाख (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रतर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम रतर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम रतर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

श्री गौरी / 11/12/15/10/६/१०

१०

१०

१०/१५

११/१५

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिरा कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/ड्राफ्ट/डिमांडिड खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुष्टी आधारित न कर आवश्यकतानुसार आधारित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यरत संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्रावधानों/समय-सारण पर शासन द्वारा निर्मित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनावर्गीत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना से सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की दिशति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दायित्ववृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय योजना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहरतादासोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूची में महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रती के साथ कोषागार का नाम, बाक्य संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के अंतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयुक्त प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुमोदित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुष्टी शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या ए 2 23/सं-2011 17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आधारित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में अपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-732/2015/1438(1)/69-1-15, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग 4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आशा से,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या 737 2015/1438(1)/69-1-15-36(अ0सं0-37)/2015, दिनांक // अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | निकाय/ नगर पंचायत का नाम। | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।  | परियोजना की कुल लागत। | प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि। |
|----------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|---|
| 1        | 2           | 3                         | 4   | 5                     | 6   |
| 1.       | मऊ          | न0पा0परि0 मऊ              | बूनकर कालोनी में पिचरोड से नजीर का मकान होते हुये सुलेमान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।  | 26.59                 | 13.295  |
| 2.       | तदैव        | तदैव                      | बूनकर कालोनी में महमूद के मकान से इजहार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।  | 16.12                 | 8.06  |
| 3.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0-31 मो0 बलाकीपुरा में शितला मन्दिर के दक्षिणी दीवार के ट्रांसफार्मर से जेन्जर अहमद के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।                              | 25.50                 | 12.75   |
| 4.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0-31 मो0 बलाकीपुरा में सुरेन्द्र वर्मा के मकान से डोम बरती तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।   | 27.38                 | 13.69   |
| 5.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0-10 मो0 नवापूरा में भरहू का पूरा, सरकारी ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर के बीच से याकुब का मकान होते हुये गरिजद दलाल के अहाता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 24.72                 | 12.36   |
| 6.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0-10 मो0 नवापूरा में रामा यादव के मकान से पुलिया तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।   | 39.56                 | 19.78   |
| 7.       | तदैव        | न0पं0 घोसी                | वार्ड सं0 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में मरहूम हबीबुल्लाह के मकान से फहीम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।  | 9.23                  | 4.615   |
| 8.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0-08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में गुंजन मियां के मकान से इसराईल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।   | 9.64                  | 4.82  |
| 9.       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में उक्तेयार के मकान से फजलेहक के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।  | 3.43                  | 1.715   |
| 10.      | तदैव        | तदैव                      | वार्ड सं0 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में सुफिया एनुलहक के मकान से हा0 कलीम के मकान तक कवर्ड नाली एवं  | 3.43                  | 1.715   |

|     |      |                              |   |        |         |
|-----|------|------------------------------|---|--------|---------|
| 11. | तदैव | तदैव                         | इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।<br>वाडे स0 09 मदापुर उत्तरी में जफर के मकान से<br>हबीबुल्लाह के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग<br>निर्माण कार्य। | 4.15   | 2 075   |
| 12. | तदैव | न0पं0<br>मुहम्मदाबाद<br>मौजा | मो0 जमालपुर में गऊ रोड से राजेश यादव के मकान<br>तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।  | 12.62  | 6 31    |
| 13. | तदैव | तदैव                         | मो0 जमालपुर में गऊ रोड से सरकारी हॉस्पिटल से<br>चौहान बरती जमालपुर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग<br>कार्य।                                      | 32.37  | 16 185  |
| 14. | तदैव | तदैव                         | मो0 गहरूपुर मद्रसा फैजुल जलूम से बंधा तक कवर्ड<br>नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।   | 17.27  | 8 635   |
|     | योग  |                              |   | 252.01 | 128 005 |

(रकम एक करोड़ छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र)।

  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव

<http://shasanadesh.up.gov.in>